निगम की आय में वृद्धि हेतु बैठक 06.08.2025

//कार्यवाही विवरण//

आज दिनांक 06.08.2025 निगम की आय में वृद्धि हेतु VC कक्ष में अधीक्षण अभियंता, जोन आयुक्त, संपत्तिकर विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारीगण एवं CA श्री एस. के. पटौदिया एवं उनके प्रतिनिधि श्री सौरभदास एवं श्रीमती शीतल अग्रवाल उपस्थित रहें। जिनके साथ VC के माध्यम से सी.ए. (CA) से चर्चा हुई। चर्चा उपरान्त CA द्वारा यह सुझाव दिया गया कि अर्बन चैलेंज फण्ड पी.पी. से आना चाहिये। कोई भी प्रोजेक्ट में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार से केन्द्रांश/राज्यांश प्राप्त होते है। प्रॉपर्टी टैक्स, पापुलेशन नये भवन निर्माण के अनुसार बढ़ना चाहिये, कम नहीं होना चाहिये।

सी.ए. (CA) द्वारा सुझाव दिया गया कि सोलर पैनल लगाये जाने से निकाय के विद्युत ऊर्जा उत्पादन से निकाय की विद्युत देयक कम होता जायेगा। इसलिये सोलर पैनल लगाये जाने पर अधिक जोर दिया जाना चाहिये। नगर पालिक निगम भिलाई की आय में वृद्धि हेतु निम्नांकित विषयों पर चर्चा हुई एवं सुझाव दिया गयाः–

1. विज्ञापन बोर्ड :– नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में ऐसे शासकीय/निजी संपत्ति है जिसमें विज्ञापन बोर्ड लगाये है जिसका निगम में पंजीयन/अनुमति होना आवश्यक है। साथ ही कितनी अवधि के लिये विज्ञापन बोर्ड की अनुमति लिया है, कितनी राशि जमा किया है, कितनी अवधि पश्चात् नवीनीकरण किया जाना है। इसकी जानकारी अभिलेख निगम के पास होना आवश्यक है। इसलिये नयी तकनीकी का उपयोग करते हुये निगम का स्वयं का सॉफ्टवेयर तैयार कर सूचीबद्ध होनी चाहिये और समय पर राशि जमा होनी चाहिये। इसके लिये दरों का निर्धारण भी होना चाहिये। सूचना (Message) जाने का सिस्टम होना चाहिये।

(कार्यवाही – कार्यपालन अभियंता (परियोजना)/राजस्व अधिकारी)

2. दुकानों से किराया :– निगम स्वामित्व की सभी दुकानो से जिससे प्रतिमाह किराये की राशि मासिक/वार्षिक प्राप्त हो रहा है उसकी एन्ट्री सॉफ्टवेयर तैयार कर की जानी चाहिये। सॉफ्टवेयर में प्रतिमाह Message जाने का सिस्टम हो।

(कार्यवाही – राजस्व अधिकारी/प्रोग्रामर)

3. विद्युत देयक :– पेयजल हेतु पावर पंप/भवनों में विद्युत मीटर कनेक्शन/स्ट्रीट लाईट/जलशोधन संयंत्र एवं नदी में लगे इंटकवेल हाईपावर के मोटर में विद्युत खपत में बड़ी राशि निगम का व्यय हो रहा है इसके बचत के लिये अधिक से अधिक सोलर पैनल लगाया जाकर विद्युत उत्पादन से विद्युत पर होने वाले व्यय से बचत हो सकता है। सभी भवनों में सोलर पैनल लगाया जाना चाहिये।

(कार्यवाही – सर्व जोन आयुक्त/कार्यपालन अभियंता)

4. निगम की रेटिंग के लिये पत्र व्यवहार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत की जानी चाहिये।

(कार्यवाही – लेखाधिकारी)

5. विज्ञापन बोर्ड लगाये जाने के लिये 7 मार्गो पर लगाये जाने का सुझाव दिया गया है। चयनित मार्गो पर विज्ञापन के लिये ई.आई.ओ. या निविदा की कार्यवाही की जाये। चयनित सात स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थान हो तो भी चिन्हांकित किया जा सकता है। कार्यवाही राजस्व विभाग एवं परियोजना विभाग द्वारा की जानी है।

(कार्यवाही – कार्यपालन अभियंता (परियोजना)/राजस्व अधिकारी)

6. सार्वजनिक शौचालयों में भी विज्ञापन के आधार पर संचालन संधारण के लिये कार्यवाही किया जा सकता है। स्वास्थ्य अधिकारी सभी शौचालय की वार्डवार/स्थल की सूची एवं विज्ञापन के लिये प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही – कार्यपालन अभियंता (परियोजना)/स्वास्थ्य अधिकारी)

7. निर्यात कर :– नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के अंतर्गत जिन उद्योगों, व्यवसायियों द्वारा निगम क्षेत्र से बाहर सामान निर्यात करते है उनसे निर्यात कर लिया जाये एवं उद्योगों एवं व्यवसायियों की सूचीबद्ध की जानी चाहिये। साथ ही नोटिस जारी होने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जानी चाहिये।

(कार्यवाही – नोडल अधिकारी (निर्यातकर)/सहा. राजस्व अधिकारी)

8. संपत्तिकर दाताओं का भैतिक सत्यापन :– नगर पालिक निगम भिलाई सीमान्तर्गत निर्मित भवनों का, संपत्ति कर का एवं आबंटित/व्यवस्थापित भूमि/भवन का भूभाटक, नवीन कॉलोनाइजर द्वारा निर्मित भवन एवं निजी स्वामित्व की भूमि पर निर्मित भवनों का पंजीयन/आई.डी. होना अनिवार्य है। साथ ही साथ संपत्तिकरदाताओं द्वारा निर्मित भवन का नियमानुसार संपत्तिकर दे रहा है कि नहीं इसका सतत् परीक्षण साथ ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपत्तिकर बकायादार को Message संदेश मोबाईल पर प्रतिमाह जानी चाहिये। सत्यापन भी आवश्यक है। सत्यापन के लिये टीम गठित किया जाना चाहिये।

(कार्यवाही – जोन आयुक्त/प्रोग्रामर/संपत्तिकर अधिकारी/सहा. राजस्व अधिकारी)

9. अनुज्ञप्ति लायसेंस :– प्रत्येक दुकानदार का ऑनलाईन सिस्टम सॉफ्टवेयर निगम की स्वयं की हो जिसमें सभी दुकानदार का नाम/क्षेत्र का उल्लेख होना चाहिये। इसके लिये निगम का स्वयं का अनिवार्य सॉफ्टवेयर/सर्वर होना चाहिये।

(कार्यवाही – राजस्व अधिकारी/स्वास्थ्य अधिकारी)

10. यूजर चार्ज एवं जलकर :– सॉफ्टवेयर में प्रत्येक भू–स्वामी का आई.डी. नंबर हो जिसमें सभी प्रकार के टैक्स चाहे संपत्तिकर हो, जलकर हो, भू–भाटक हो, यूजर चार्ज हो, अनुज्ञप्ति शुल्क हो सभी का एक आई.डी. चालू (Open) करने से पूरी जानकारी हो सके कि भवन कि भवन स्वामी द्वारा उपरोक्त प्रकार के टैक्स राशि जमा किये है या नहीं। जमा नहीं होने की स्थिति में भवन स्वामी को मोबाईल में मैसेज चला जाये यह सिस्टम सॉफ्टवेयर में होना चाहिये जिससे वसूली राशि बढ़ेगी।

(कार्यवाही – संपत्तिकर अधिकारी/स्वास्थ्य अधिकारी /राजस्व अधिकारी/ सहा. राजस्व अधिकारी)

11. कार्यक्रम के लिए भवनों को आरक्षित :– नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड में सामुदायिक /सांस्कृतिक भवन निर्मित है ऐसे भवन का उपयोग क्षेत्र के निवासी विभिन्न प्रकार के निजी कार्य के लिये किया जाता है उनका भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसका भी आरक्षण करने की प्रक्रिया/राशि जमा करना/कार्यक्रम के बाद अमानत राशि की वापसी की व्यवस्था होनी चाहिये। इस प्रकार से राजस्व वसूली राशि में वृद्धि संभावित है।

(कार्यवाही – सर्व जोन आयुक्त/प्रोग्रामर)

बैठक धन्यवाद ज्ञापित करते हुये समाप्त किया गया।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./एफ– /समीक्षा बैठक/4064 भिलाई, दिनांक 13/08/2025

प्रतिलिपि :–

1. महापौर/सभापति महोदय, नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियंता, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता I/II, नगर पालिक निगम,भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
5. जोन आयुक्त/कार्यपालन अभियंता, जोन–1,2,3,4 एवं 5/PMAY/जलकार्य/स्वास्थ्य/ कम्प्युटर/विद्युत/भवन संधारण/स्टोर, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
6. लेखाधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ
7. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम भिलाई को निगम के वेबसाईट (आदेश फाईल) में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।
8. राजस्व अधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
9. जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
10. सर्व संबंधित/विभाग प्रमुख .... नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई